

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1158 सन 2020

अनवान :-

1. भंवरगिर पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर ।  
वादी

बनाम

1. नोरगगिर पुत्र पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
2. तिलोकगर पुत्र पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
3. प्रकाश पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
4. पप्पूगिर पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
5. मुखी पुत्री तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
6. चावलीदेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
7. नानु पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
8. ताजुदेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
9. संतरादेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
10. केशरदेवी पत्नी स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 136/127 की कुल 9.0930 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पनगर पुत्र मोहब्बतगर का देहान्त हो चुका है जिसके सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जायज व कानुनी वारिसान है जो पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी की बुआ/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 10 वादी की दादी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पनगर जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पनगर पुत्र मोहब्बतगर का देहान्त हो चुका है जिसके सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जायज व कानुनी वारिसान है जो पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजों/पौत्रों/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 136/127 की कुल 9.0930 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पनगर पुत्र मोहब्बतगर का देहान्त हो चुका है जिसके सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जायज व कानुनी वारिसान है जो पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी की बुआ/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 10 वादी की दादी है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 136/127 की कुल 9.0930 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पनगर पुत्र मोहब्बतगर का देहान्त हो चुका है जिसके सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जायज व कानुनी वारिसान है जो पनगर पुत्र मोहब्बतगर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में पनगर का मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 136/127 की कुल 9.0930 हैक् रोही मौजा कल्लासर के खाता संख्या 185/167 की कुल 5.0580 हैक् व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर उर्फ महोब्बतगर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भंवरगिर पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर ।  
वादी

बनाम

1. नोरगगिर पुत्र पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
2. तिलोकगिर पुत्र पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
3. प्रकाश पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
4. पप्पूगिर पुत्र तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
5. मुखी पुत्री तिलोकगिर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
6. चावलीदेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
7. नानु पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
8. ताजुदेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
9. संतरादेवी पुत्री स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
10. केशरदेवी पत्नी स्व पनगर जाति गोसाई (गुसाई) साकिन देवासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1158 सन 2020 निर्णय दिनांक- 23/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 136/127 की कुल 9.0930 हैक् व रोही मौजा कल्लासर के खाता संख्या 185/167 की कुल 5.0580 हैक् व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनगर पुत्र मोहब्बतगर उर्फ महोब्बतगिर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर